अपर समाहर्त्ता का न्यायालय, खूँटी

विविध वाद संख्या - 04R28/03-04

वनवारी साहु – आवेदक

बनाम्

आदित्य लोहार एवं अन्य – विपक्षीगण

आदेश

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
04.12.2020	प्रस्तुत विविध वाद आवेदक वनवारी साहु पिता–स्व0 धनु साहु द्वारा इस जिले के मुरहू अंचल के खाता नं0–141, खेसरा नं0–987, कुल रकबा–0.26 एकड़ के मधे 0.05 एकड़ भूमि को भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा आवेदक को हुकुमनामा बन्दोबस्ती कर लगान रसीद निर्गत करने एवं बाद में इसी भूमि को विपक्षी आदित्य लोहार के साथ सरकारी बन्दोबस्ती करने के फलस्वरूप उपायुक्त, रॉची के न्यायालय में दायर किया गया। खूँटी अलग जिला बन जाने के कारण अभिलेख उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय में हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ। तत्पश्चात यह अभिलेख उपायुक्त, खूँटी का आदेश दिनांक 28.08.2015 के अनुपालन में इस न्यायालय को उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय से हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन के अनुसार मौजा–मुरहू, खाता नं0–141, प्लॉट नं0–987, कुल रकबा–26 डी0 मधे 0.5 डी0 भूमि सन् 1993 में भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा बन्दोबस्ती कर जमींदारी उन्मुलन तक लगान रसीद निर्गत किया जाता रहा एवं तत्पश्चात अंचल अधिकारी, मुरहू द्वारा इनके नाम पंजी–II में मांग संधारित कर 1956 से 1971 तक सरकारी लगान रसीद निर्गत किया गया है। पुनः इनके द्वारा लगान	

अदायगी के क्रम में इन्हे जानकारी मिली कि प्रश्नगत भूमि विपक्षी आदित्य लोहार को बन्दोबस्त कर दिया गया है एवं इनके नाम पंजी–II में संधारित मांग को अंचल अधिकारी, मुरहू द्वारा स्थगित/रद्द कर दिया गया है। तत्पश्चात् इनके द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी के न्यायालय में वाद सं0–6/1981–82 दायर किया गया, जिसमे अंचल अधिकारी, मुरहू से प्रतिवेदन प्राप्त कर इन्हे सक्षम न्यायालय में जाने का निदेश दिया गया। अपर समाहर्त्ता, राँची ने अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी को अपने पत्रांक–1205(ii)/रा0 दिनांक–27.05.1993 द्वारा विपक्षी आदित्य लोहार का जाति जॉच कर इन्हे अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के नही होने की स्थिति में विपक्षी आदित्य लोहार को बन्दोबस्ती रद्द करने का निदेश दिया गया है। तदनुसार अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी ने अपने पत्राक–416/गो0 दिनांक–25.06.1992 द्वारा बन्दोबस्ती रद्द करने का प्रस्ताव भेजने का निदेश अंचल अधिकारी, मुरहू को दिया गया है। आवेदक द्वारा अपने को Settled Raiyat बतलाया गया एवं इनके जमाबन्दी को राजस्व पदाधिकारी को रद्द करने का क्षेत्रधिकार नही होने का उल्लेख किया गया है।

आवेदक द्वारा विपक्षी आदित्य लोहार के मृत्यु के पश्चात उनके पुत्रों 1. लक्ष्छु लोहार 2. अच्छु लोहार एवं 3. बजेश लोहार को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन दिनांक 26.05.2008 को दाखिल किया गया, जिसे स्वीकार किया गया है। साथ ही आवेदक की मृत्यु की स्थिति में उनके पुत्र संजय कुमार गुप्ता को पक्ष बनाने के आवेदन दिनांक–18.05.2016 को भी स्वीकार किया गया है।

आवेदक एवं विपक्षी एक लम्बे अवधि से लगातार इस वाद की कार्रवाई हेतु निर्धारित विभिन्न तिथियों को अनुपस्थित रह रहे है।

निम्न न्यायालय वाद अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध एवं कई बार स्मारित करने के बावजूद अप्राप्त है।

संगत अभिलेख में संलग्न आवेदन पत्र एवं अन्य कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–मुरहू, खाता नं0–141, खेसरा–987, कुल रकबा–26 डी0 सर्वे खतियान में गैरमजरूआ खास खाते के रूप में

दर्ज है। इसी खेसरा के 0.05 एकड़ भूमि को लेकर विवाद चल रहा है। आवेदक द्वारा भूतपूर्व मध्यवर्ती से सन् 1993 में हुकुमनामा बन्दोबस्ती से प्राप्त कर पूर्व में मध्यवर्ती को एवं बाद में राज्य सरकार को सन् 1956 से 71–72 तक भू–लगान भुगतान करने के आधार पर आवेदक द्वारा विपक्षी आदित्य लोहार के साथ किये गये भूमि बन्दोबस्ती को रद्द करते हुए प्रश्नगत भूमि का लगान स्वीकार करने हेतु अंचल अधिकारी, मुरहू को आदेश देने की प्रार्थना की गई है।

बिहार भूमि सूधार अधिनियम 1950 की धारा–4(h) के अनुसार दिनांक–01.01.1946 के पश्चात इस अधिनियम के प्रावधानों को शिकस्त देने, राज्य को क्षति पहुँचाने एवं उच्चतर क्षतिपुर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए बन्दोबस्ती/हस्तांतरण के मामलों को समाहर्त्ता द्वारा जॉच कर एवं संबंधित पक्षों को सुनकर ऐसे बन्दोबस्ती/हस्तांतरण को रद्द कर इस प्रकार के सम्पति का दखल ले लेना है।

श्री अनुप मुखर्जी, निदेशक भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सूधार विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या–3/खा0म0 निति–119/85, 2308/रा0 दिनांक–03.09.1985 में निहित दिशा निदेश के आलोक में इस प्रकार के जमाबंदियों की जॉच कर संदिग्ध जमाबंदियों को चिन्हित कर इन्हे रद्द करने की कार्रवाई करने का दिशा निदेश निर्गत है।

इस प्रकार के संदिग्ध जमाबंदियों के मामलों को रद्द करने हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र पत्र सं0–914/रा0 दिनांक–09.12.1998 में भी विस्तृत दिशा निदेश निर्गत किया गया है।

इसके अतिरिक्त राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक–13.05.2016 द्वारा अभियान चलाकर ऐसे अवैध/संदिग्ध जमाबंदी को रद्द करने का निदेश प्राप्त है।

आवेदक द्वारा समर्पित हुकुमनामा की प्रति अस्पष्ट एवं अपठनीय है। इसमें अंकित बन्दोबस्ती की गई भूमि भी अस्पष्ट है।

उपर्युक्त परिस्थिति में आवेदक को इस स्तर से कोई भी राहत देना

संभव नही है। ऐसी स्थिति में इनके आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

साथ ही अंचल अधिकारी, मुरहू को सरकारी भूमि बन्दोबस्ती हेतु सरकार द्वारा निर्धारित माप दण्ड के अनुसार सुयोग्यता तथा प्रश्नगत भूमि का किस्म जमीन/वर्तमान स्वरूप आदि की जॉच कर विपक्षी आदित्य लोहार को बन्दोबस्त किये गये भूमि के रद्द करने के संबंध में एक माह के अन्दर यथोचित निर्णय लेकर अग्रेत्तर कार्रवाई आवश्यकतानुसार सुनिश्चित करेंगे।

4.12.2020.

अपर समाहर्त्ता,

खूँटी